

# न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/168

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 85/2023

GCMS No. 72023/181

उनवान प्रकरण :- कैलाशचन्द बनाम तहसीलदार

**-: आदेश:-**

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का नारायणपुरा व भूअ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	हरियाजून	113	कला पुत्र गोगाराम हिस्सा 1/24 जाति गुजर सा. देह खातेदार	कैलाशचन्द पुत्र गोगाराम हिस्सा 1/24 जाति गुजर सा. देह खातेदार
2	हरियाजून	119	कला पुत्र गोगा हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	कैलाशचन्द पुत्र गोगाराम हिस्सा 1/12 जाति गुजर सा. देह खातेदार

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/2023/169-170

दिनांक :- 30.05.2023

**प्रतिलिपि :-** सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी कैलाशचन्द पुत्र गोगाराम जाति गुर्जर सा. हरियाजून तह.कुचामन को सूचनार्थ

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)

